



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

कार्यालय

आयकर आयुक्त

16, मुमल टॉवर, सहेली मार्ग, उदयपुर, (राज.)

क्रमांक: आ.आ./उदय/न्यायिक/2010-2011/ 2285

दिनांक : 15.11.2010

आदेश :-

विषय:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी सहपठित नियम 11AA के अधीन छूट ।

— 00 —

दानदाताओं द्वारा गायत्री सेवा संस्थान, वीणा नगर, हिरण मगरी, सेक्टर नं. 6, उदयपुर (PAN AAATG9231B) को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन उक्त धारा में विहित सीमाओं तथा शर्तों के साथ आयकर से छूट के योग्य होंगे ।

यह छूट 08.09.2010 (आवेदन की तिथि) से 31.03.2012 तक को समाप्त अवधि/कर निर्धारण वर्ष 2012-13 तक निम्नांकित शर्तों के साथ मान्य होगी :-

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित किये जावें और यह स्पष्ट रूप से लिखा जावें कि यह प्रमाण पत्र किस दिनांक/अवधि तक मान्य है ।
2. आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं चिट्ठा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले आयकर अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता हो सालाना प्रस्तुत किये जावें ।
3. यदि संस्था के संविधान/गठन में कोई संशोधन किया जावे तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जावे ।
4. संस्था को दिए गए दान के लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के प्रावधानों/शर्तों/सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे ।



Sd/-

(एस. पी. मीणा)

आयकर आयुक्त

उदयपुर

नोट :-

इस प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त संस्था को अपने कर निर्धारण के समय उसके द्वारा किये गये खर्चों की छूट तब ही प्राप्त होगी जब निर्धारिती (संस्था) आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार पुण्यार्थ है और धारा 11, 12, 12ए(ए) तथा धारा 13 में उल्लेखित शर्तें पूरी करती हो।

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष/न्यासी गायत्री सेवा संस्थान, वीणा नगर, हिरण मगरी, सेक्टर नं. 6, उदयपुर ।
2. आयकर अधिकारी, वार्ड-1(2), उदयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि संस्था/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की स्वयं जांच-पड़ताल करें कि धारा 80 जी तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं सम्बन्ध में लागू होने वाली शर्तों को निरन्तर पूरा करता है ।
3. अपर आयकर आयुक्त, रेंज-1, उदयपुर ।



(कै. आर. बाबल)

आयकर अधिकारी (तक.)

उदयपुर